

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 150 / 2015

संस्थापन दिनांक 30.03.2015

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

बनाम

1-सुनील उर्फ ददू पुत्र राजवीर यादव आयु 22 वर्ष
निवासी लोहारपुरा थाना मौ जिला भिण्ड

– अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर धारा 323 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है शेष विचारणीय धारा 354 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 04.03.15 को 16:00 बजे फरियादी पूजा अ0सा01 का मकान खटीक मोहल्ला मौ जिला भिण्ड पर पूजा अ0सा01 जोकि एक स्त्री है की लज्जा भंग करने के आशय से पूजा अ0सा01 पर अपराधिक बल का प्रयोग किया।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 04.03.15 को फरियादी पूजा अ0सा01 व उसकी सास चिरोंजी अ0सा02 घर पर थी तब आरोपी ने फरियादी के घर आकर बुरी नीयत से पूजा अ0सा01 का दाहिना हाथ पकड़ लिया और चारपाई पर बिठाने लगा वह चिल्लाई तो चिरोंजी अ0सा02 उतरकर नीचे आई और सुनील को पकड़ना चाहा तो सुनील ने चिरोंजी अ0सा02 को चांटे मारे और धक्का देकर भाग गया जिसे मेवाराम ने भागते हुए देखा पूजा अ0सा01 के पति के घर पर आने के बाद पूजा अ0सा01 द्वारा रिपोर्ट प्र0पी-1 की कार्यवाही की गयी। फरियादी पूजा रजक अ0सा01 की रिपोर्ट पर से थाना थाना मौ पर अप0क्र0 55/15 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरान्त आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
3. आरोपी ने आरोपित आरोप को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि क्या आरोपी ने दिनांक 04.03.15 को 16:00 बजे फरियादी पूजा अ0सा01 का मकान खटीक मोहल्ला मौ जिला भिण्ड पर पूजा अ0सा01 जोकि एक स्त्री है की लज्जा भंग करने के आशय से पूजा अ0सा01 पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?
// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //
5. पूजा अ0सा01 ने कथन किया है कि गत वर्ष आरोपी सुनील से उसका घर गृहस्थी की बात पर मुंहवाद हो गया था। तब उसकी सास चिरोंजाबाई अ0सा02 भी पहुंच गयी इस बात पर सुनील ने उसे व चिरोंजा अ0सा02 को धक्का दिया और भाग गया उसकी सास रिपोर्ट करने चली गयी। जिसने रिपोर्ट लिखाई थी और उसने स्वयं हस्ताक्षर किए थे। वह ज्यादा पढीलिखी नहीं है इसलिए उसने बिना पढे हस्ताक्षर कर दिए। एफ.आई.आर. प्र0पी-1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। थाने के अलावा पुलिस उससे कभी नहीं मिली। नक्शामौका प्र0पी-2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 04.03.15 को सुनील ने उसे बुरी नीयत से दाहिना हाथ पकड़कर चारपाईपर बिठाने का प्रयास किया और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-3 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
6. चिरोंजा अ0सा02 ने भी मुख्यपरीक्षण में यही कथन किया है कि सुनील और पूजा अ0सा01 का झगड़ा हुआ था और इस सुझाव से इंकार किया है कि सुनील ने पूजा का बुरी नीयत से हाथ पकड़ लिया था और अपनी तरफ खींचने लगा और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-4 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
7. अतः अभियोजन मामले में स्वयं फरियादी पूजा अ0सा01 ने विचारणीय प्रश्न पर अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन मामले के अनुसार घटना के एकमात्र प्रत्यक्ष साक्षी चिरोंजा अ0सा02 है परन्तु उसके द्वारा भी अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है। अतः उक्त दोनों महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष साक्षीगण द्वारा ही अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 04.03.15 को 16:00 बजे फरियादी पूजा अ0सा01 का मकान खटीक मोहल्ला मौ जिला भिण्ड पर पूजा अ0सा01 जोकि एक स्त्री है की लज्जा भंग करने के आशय से पूजा अ0सा01 पर आपराधिक बल का प्रयोग किया।
8. परिणामतः आरोपी सुनील को धारा 354 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
9. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0